फिलो प्रमाणित

132

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

निग-2775-I-16

प्रकरण क्रमांक :- ..../I/2016 निगरानी

1— रामस्वरूप पुत्र श्री ठाकुरदास ब्राह्मण

2— प्रदीप पुत्र श्री रामस्वरूप ब्राह्मण
निवासीगण ग्राम खमरौली, हाल
निवासीगण गायत्री मन्दिर के पास
सेवढ़ा जिला दतिया मध्य प्रदेश

—प्रार्थीगण

श्री अशोक भार्गव, अभि० द्वारा आज दि 16-8-16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 16.8.16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1— खुशीराम

2— मोतीराम

3— गोविन्द सिंह पुत्रगण श्री अर्जुन किरार

4— भगवान सिंह

5— जसवंत सिह पुत्रगण श्री खुशीराम
किरार निवासीगण ग्राम मरसेनी खुर्द
तहसील सेवढ़ा जिला दतिया मध्य
प्रदेश —प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू—राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 27.07.2016 न्यायालय अपर आयुक्त महोदय संभाग ग्वालियर प्रकरण क्रमाक 294/2015—2016/अपील व उनमान खुशीराम आदि बनाम रामस्वरूप आदि। न्यायालय अपर कलैक्टर जिला दतिया का प्रकरण क्रमांक 46/2015—2016/बी—121 आदेश दिनांक 04.05.2016

16.8.16

महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :—

संक्षिप्त विवरण :—

1— यह कि, प्रकरण का सक्षिप्त विवारण इस प्रकार है कि, आवेदक द्वारा सहायक बन्दोबस्त अधिकारी सेवढ़ा जिला दतिया के न्यायालय मे अपने स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य के सर्वे क्रमांक 927/1208 मे सुधार किये जाने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर से सहायक

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ..............

प्रकरण कमांक 2775–एक/2016 निगरानी जिला दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आ के हस्ताक्षर
17–8–16	यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्र0क0 294/15–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 27–7–2016 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदकगण के अभिभाषक श्री अशोक भार्गव के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से वस्तुस्थिति यह है कि सहायक बंदोवस्त अधिकारी सेवढ़ा के प्रकरण कमांक 127 अ–6–अ/95 में पारित आदेश दिनांक 2–11–95 के विरूद्ध अपर कलेक्टर दतिया के न्यायालय में अपील कमांक 46/15–16 प्रचलित थी । पेशी दिनांक 25–5–11 को अपीलांट के अभिभाषक अनुपस्थित रहे । फलतः अपर कलेक्टर ने प्रकरण अदम पैरबी में निरस्त कर दिया। प्रकरण के पुनर्स्थापन हेतु संहिता की धारा 35(3) का आवेदन प्रस्तुत हुआ, जिसे अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 4–5–16 से निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील	

प्र0क02775–एक/2016 निगरानी क्रमांक 294/15–16 प्रस्तुत हुई जिसमें पारित आदेश दिनांक 27–7–2016 से अपील स्वीकार कर अपर कलेक्टर का आदेश दिनॉक 4–5–16 निरस्त करते हुये प्रकरण गुणदोष पर सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है। प्रकरण में विचार योग्य बिन्दु है कि क्या आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश दिनांक 27–7–2016 के विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी ग्राह्य योग्य एंव प्रचलन योग्य है ?

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) – धारा 35 – धारा 35(3) के आवेदन के अस्वीकृत होने पर अपील – केवल एक ही अपील होगी – अपीलीय आदेश के विरूद्ध अपील श्रवण योग्य एंव प्रचलन–योग्य नहीं है और न ही निगरानी श्रवण योग्य एंव प्रचलन योग्य है। (सौदान सिंह बनाम म0प्र0राज्य 1986 रा0नि0 1 = 1986 म0प्र0ज0ला0ज0 302 हाई कोर्ट से अनुसरित)

उपरोक्त कारणों से निगरानी ग्राह्य–योग्य एंव प्रचलन योग्य न होने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है। इस आदेश की एक प्रति अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर को तथा एक प्रति अपर कलेक्टर जिला दतिया को भेजी जावे।

सदस्य